न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 04/18

1. रोहित पुत्र शुभकरण जाति ब्राहम्ण निवासी भटोली फकोरियान तह– देहरा जिला कांगड़ा हाल आबाद चक 8 केवाईडी (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. पैरोकार राज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक 13.03.2020**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट के पिता स्व0 श्री शुभकरण पुत्र श्री मंगतूराम ने अपने जीवनकाल में अपनी कृषि भूमि वाके चक 8 केवाईडी 'ए' का मु0नं0 175/37 का किला नं0 1 सालम, 9 में 7 बिस्वा, 10 ता 12, 19 व 20 सालम, 21 में 18 बिस्वा, 22 में 18 बिस्वा कुल तादादी 8.03 बीघा कमाण्ड भूमि जो कि पौंग बॉध विस्थापित होने के एवज में प्राप्त है, की एक रजिस्ट्रर्ड वसीयत अपीलांट के पक्ष में करवाई गई थी। अपीलान्ट के पिता श्री शुभकरण की मृत्यु दिनांक 21.02.2017 को होने के बाद अपीलांट अपनी उक्त वसीयतशुदा भूमि पर कब्जा काश्त है। अपीलान्ट ने उक्त वसीयत का फैसला डिप्टी कमीशनर कांगड़ा से दिनांक 03.04.2014 को करवाकर उक्त वसीयतशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के लिए कानूनी वारिस प्रमाणपत्र व मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ रेस्पोडेन्ट के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तो रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूरी वारिस प्रमाण पत्र का डीसी कॉगड़ा (हिमाचलप्रदेश) से पुष्टि करवाकर जरिये आदेश क्रमांक 1342 दिनांक 28.06.2017 के हल्का पटवारी को उक्त रकबा का रिकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया जिससे हल्का पटवरी द्वारा उक्त भूमि जायज वारिस प्रमाण पत्र जो डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा द्वारा जारी क्रमांक नं0 116/DCR/KGO/2017 दिनांक 03.04.2014 के आधार पर इन्तकाल सं0 180 दिनांक 05.07.2017 का अंकन कर दिया ।

जिसे रेस्पोडेन्ट ने बिना भौतिक सत्यापन व दस्तावेजों की जॉच किये इन्तकाल सं0 180 को अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांट को सुनवाई का मौका व सूचना दिये इकतरका तौर पर दिनांक 12/01/2018 को अस्वीकृत कर दिया। जबकि डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा द्वारा वसीयत को सुनकर कानूनी वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया था। राजस्थान पोंग बॉध विस्थापितों की आवंटित भूमि के संबंध में पुश्तैनी भूमि और वसीयत प्रकरणों तथा वारिसान से सम्बधित वाद विवाद सुनने का भी अधिकार डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा को प्राप्त है व कानूनी जायज प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरण के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को प्राप्त है। अपील अपीलांट ने अस्वीकृत इन्तकाल सं0 180 दिनांक 12/01/2018 दर्ज किया गया को निरस्त कर अपीलांट की वसीयतशुदा भूमि 8.03 बीघा का इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया है

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। बहस सुनी गई ।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया जैरअपील इंतकाल सं0 180 दिनांक 12/01/2018 दर्ज करते समय अपीलांट वसीयतानुसार वारिस थे । जिसे रेस्पोडेन्ट ने बिना भौतिक सत्यापन व दस्तावेजों की जॉच किये इन्तकाल सं0 180 को अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांट को सुनवाई का मौका व सूचना दिये इकतरका तौर पर दिनांक 12/01/2018 को अस्वीकृत कर दिया। जो खिलाफ प्राकृतिक न्याय और बिना जांच किये बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिकार्ड की कोई पुष्टि नहीं करवाई ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस या अन्य सूचना अपीलांट को दी गई। जबकि डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा द्वारा वसीयत को सुनकर कानूनी वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया था। राजस्थान पोंग बॉध विस्थापितों की आवंटित भूमि के संबंध में पुश्तैनी भूमि और वसीयत प्रकरणों तथा वारिसान से सम्बधित वाद विवाद सुनने का भी अधिकार डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा को प्राप्त है व कानूनी जायज प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरण के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को प्राप्त है।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है। चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है ।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ता और राज पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल सं0 180 दिनांक 12/01/2018 चक 8 केवाईडी 'ए' का मु0नं0 175/37 का किला नं0 1 सालम, 9 में 7 बिस्वा, 10 ता 12, 19 व 20 सालम, 21 में 18 बिस्वा, 22 में 18 बिस्वा कुल तादादी 8.03 बीघा को अस्वीकृत कर दिया है । उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर पुनः नियमानुसार इंतकाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **13.03.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.05.18 10:19:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: